संख्या-79/2020/1356/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 11 जून 2020

विषय:- **ई0आर0पी0 क्लाउडबेस साफ्टवेयर की अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16/स0क0/शिक्षा-अ/03/70/ 2018-19, दिनांक-16.04.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ई0आर0पी0 क्लाउड बेस साफ्टवेयर की अवशेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत ई0आर0पी0 क्लाउड बेस साफ्टवेयर की अवशेष धनराशि के रूप में **रूपये-41,57,770/-(रू0 इकतालिस लाख सत्तावन हजार सात सौ सत्तर मात्र)** के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-13-42 में प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1)-धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(2)-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(3)-निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्ताकिंत आकडों में भी समायोजन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(4)-किसी भी अन्य शेष अग्रिम भुगतान की अनुमति भुगतान बिल बेसिस पर किया जायेगा।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-79/2020/1356 (1)/26-3-2020 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।